न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 97/2022

1. निखिल पुत्र श्री राजवीर जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
2. संतोष पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी ढोसी, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

—अपीलांट्स

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम निखिल आदि
अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 53/2022 निर्णय दिनांक 18.8.2022

उपस्थितिः—

1 .श्री रविन्द्र सिंह, एडवोकेट ————————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 31.01.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.8.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम निखिल आदि मु0 नं0 53/2022 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — पटवारी हल्का ठाठवाड़ी ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम ढोसी स्थित राजकीय भूमि खसरा नंर 580 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता के रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर गैर सायलान निखिल पुत्र राजवीर व संतोष पत्नी श्री राजवीर जाति जाट निवासी ढोसी ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से ग्वार की फसल कर, तारबन्दी कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलांटस को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांटस की ओर से दिनांक 19.7.2022 को जवाब नोटिस में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

में दिनांक 18.8.2022 को मामले में एक तरफा सुनवाई की जाकर अपीलांटस के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.8.2022 खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थीगण/अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, अपीलांटस की बिना साक्ष्य लिये एवं अपीलांट्स के जवाब का बिना अवलोकन किये ही उक्त बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांटस का कथन है कि ग्राम ढोसी की जिस भूमि खसरा नंबर 580 रकबा 0.80 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांटस द्वारा काश्त व तारबंदी कर जो कब्जा बताया गया है, उस भूमि पर अपीलांट ने कोई कब्जा नहीं कर रखा, बल्कि अपीलांटस अपने ही खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा अपनी ही भूमि में तारबंदी कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर गलत आदेश पारित किया है। ग्राम ढोसी में अपीलांटस की खातेदारी भूमि है जिसमें काफी पुराना कदीमी धोरा बना हुआ था। अपीलांट से अपनी उक्त खातेदारी भूमि में स्थित धोरे की भूमि में ही तारबन्दी की है तथा अपनी ही भूमि काश्त की है। शिकायतकर्ता ने अपीलांट के विरूद्ध झूठी शिकायत की है क्योंकि वह अपने खेत में आगे जाने के लिए अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालना चाहता है, इसलिए पटवारी हल्का से साजकर झूठी शिकायत के आधार पर पटवारी रिपोर्ट बनवाकर पेश की गई है जिसको आधार मानकर अदालत मातहत ने अपीलांट्स के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के आदेश दिनांक 18.8.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं मौका रिपोर्ट तैयार किये प्रार्थीगण/अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये, अपीलांटस की बिना साक्ष्य लिये एवं अपीलांट्स के जवाब का बिना अवलोकन किये ही उक्त बेदखली का आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांटस का कथन है कि ग्राम ढोसी की जिस भूमि खसरा नंबर 580 रकबा 0.80 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांटस द्वारा काश्त व तारबंदी कर जो कब्जा बताया गया है, उस भूमि पर अपीलांट ने कोई कब्जा नहीं कर रखा, बल्कि अपीलांटस अपने ही खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा अपनी ही भूमि में तारबन्दी कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर गलत आदेश पारित किया है। ग्राम ढोसी में अपीलांटस की खातेदारी भूमि है जिसमें काफी पुराना कदीमी धोरा बना हुआ था। अपीलांट से अपनी उक्त खातेदारी भूमि में स्थित धोरे की भूमि में ही तारबन्दी की है तथा अपनी ही भूमि काश्त की है। शिकायतकर्ता ने अपीलांट के विरूद्ध झूठी शिकायत की है क्योंकि वह अपने खेत में आगे जाने के लिए अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से जबरन रास्ता निकालना चाहता है, इसलिए पटवारी हल्का से साजकर झूठी, शिकायत के आधार पर पटवारी रिपोर्ट बनवाकर पेश की गई है जिसको आधार मानकर अदालत मातहत ने अपीलांट्स के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के आदेश दिनांक 18.8.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी ठाठवाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम ढोसी स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 580 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गैर मु0 रास्ता के रकबा 0.01 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से गवार की फसल कर, तारबंदी कर अतिक्रमण करना बताया है। विवादित भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट [illegible] नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी एवं हाजा न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। विवादित भूमि रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2022 उनवानी सरकार बनाम निखिल मु0नं0 53/2022 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested